

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या
15/109/2022

रजि० नम्बर
2022/148

प्रवेश तिथि
11.04.2022

निर्णय दिनांक
24.02.2025

01. भगवान सहाय, गिराज पुत्रान सेढा, निवासी व काश्तकार ग्राम पिनान, तहसील रैणी, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थीगण

बनाम

01. सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर।
02. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.)।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित:—

01. श्री विक्रांत माथुर
02. श्री विकास सोनी

—वकील प्रार्थी

—वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02



प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पुनः मूल्य निर्धारण किये जाने बाबत पेश किया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब प्राप्त किया गया। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई तथा वकील उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण भगवान सहाय, गिराज पुत्रान सेढा निवासी व काश्तकार ग्राम पिनान, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज.) हैं। हम प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 1.18 है०, आराजी खसरा नम्बर 3942 रकबा 0.05 है० वाके ग्राम पिनान, तहसील रैणी, जिला अलवर में स्थित है। हम प्रार्थीगण का नाम बहैसियत खातेदार हाल जमाबन्दी संवत् 2075 में दर्ज है। हम प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि सिंचित भूमि है।

दिनांक 05-01-2019 के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में भारत का राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) व कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर जिला अलवर के पब्लिक नोटिस के द्वारा हम प्रार्थीगण को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त नोटिस (समाचार पत्र में प्रकाशित) के क्रम संख्या 679 पर हम प्रार्थीगण की आराजी भूमि अवाप्ति हेतु दर्ज


जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

की गई है तथा हम प्रार्थीगण का नाम कॉलम संख्या (6) में बहैसियत भू-स्वामी/हितवद्ध व्यक्ति के नाम पर दर्ज है।

हम प्रार्थीगण की उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 1.18 है० वाके ग्राम पिनान, तहसील रैणी, जिला अलवर की खातेदारी की भूमि में से 0.6762 है० भूमि को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)/अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के अधिनिर्णय आदेश संख्या 42 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन (दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे) के निर्माण हेतु अवाप्ति की गई है जो कि भूमि की माप एवं वर्गीकरण शीट में क्रम संख्या 129 पर दर्ज है। न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)/अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर जिला अलवर के अधिनिर्णय आदेश संख्या 42 में दर्ज भूमि का बाजार मूल्य में अर्जित भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु चयनित दरे दर्ज की गई है। जिसके अनुसार ग्राम पिनान, तहसील रैणी, जिला अलवर में धारा 3 ए की दिनांक 21-08-2018 को प्रभावी डी एल सी दर सिंचित भूमि की रोड के निकट 37,82,160/- रुपये प्रति हैक्टेयर है तथा रोड से दूर सिंचित भूमि की प्रभावी डी एल सी दर 17,62,958/- रुपये प्रति हैक्टेयर है।

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा भूमि अवाप्ति के मुआवजा गणना पत्र में हम प्रार्थीगण की उक्त अवाप्त अधीन भूमि आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 0.6762 है० को गलत तरीके व मौका के प्रिपरीत "सडक से दूर" दर्ज कर मुआवजा राशि की गणना 17,62,958/- रुपये प्रति हैक्टेयर से की गई है जबकि हम प्रार्थीगण की उक्त अवाप्ताधीन भूमि की मुख्य सडक (मण्डावर स्टेट हाईवे) से दूरी मात्र 40 मीटर है। जिसके सम्बन्ध में हम प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् तहसीलदार तहसील रैणी के आदेश की पालना में पटवारी पंचायत समिति पिनान, तहसील रैणी के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जिस मौका रिपोर्ट के अनुसार हम प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 3936 की मुख्य सडक (मण्डावर स्टेट हाईवे) से दूरी 40 मीटर दर्ज की गई है। जो कि मौका रिपोर्ट बतौर सबूत आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई थी। अर्जित भूमि के मुआवजे का निर्धारण दिनांक 21.08.2018 को प्रभावी डी.एल.सी. दर (प्रति हैक्टेयर) के आधार पर किया गया है। "सेन्सस कोड एवं अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण हेतु बाजार दर प्रस्ताव उप पंजीयक, रैणी जिला अलवर" के अनुसार वर्ष 2018 में सिंचित (मुख्य सडक से 500 मीटर तक) डी.एल.सी. दर 37,82,160/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। जिस सेन्सस कोड उप पंजीयक रैणी को वजह सबूत आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया था तथा मौजूदा मूल प्रार्थना पत्र के साथ भी उक्त सेन्सस कोड वजह सबूत अलग से प्रस्तुत किया गया है जिसे निम्नलिखित तालिका में भी दर्ज किया गया है।

क्र० सं०	नाम ग्राम अंग्रेजी में	नाम ग्राम हिंदी में	जिला सेन्सस कोड	व्लॉक सेन्सस कोड	ग्राम सेन्सस कोड	दरे प्रति है० में							
						अनुमानित दरे प्रभावी प्रति है० दिनांक 04.08.2017 (वर्ष 2017)		मुख्यमंत्रि बजट घोषणा उपरान्त दरे प्रभावी दिनांक 13.02.2018(वर्ष 2018) (10 प्रतिशत कमी)					
						संचित (सिंचित मुख्य सडक से 500 मी० तक)		असंचित (सिंचित मुख्य सडक से 500 मी० तक)		संचित (सिंचित मुख्य सडक से 500 मी० तक)		असंचित (सिंचित मुख्य सडक से 500 मी० तक)	
सडक व गांव के पास	सडक व गांव से दूर	सडक व गांव के पास	सडक व गांव से दूर	सडक व गांव के पास	सडक व गांव से दूर	सडक व गांव के पास	सडक व गांव से दूर						
108	PINAN	पिनान	104	0048	073402	4202400	1425600	36776600	1401200	3782160	1283040	3309840	1261080

हम प्रार्थीगण की उक्त अवाप्ति की गई आराजी खसरा नम्बर 3936 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर की मुख्य सडक से (मण्डावर हाईवे) से दूरी 40 मीटर है यानि सेन्सस कोड एवं अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण हेतु बाजार दर प्रस्ताव उप पंजीयक रैणी जिला अलवर की वर्ष 2018 की


 जिला कलक्टर
 अलवर (राज०)

शीट के अनुसार हम प्रार्थीगण की उक्त अवाप्तशुदा सिंचित भूमि मुख्य सडक से 500 मीटर भीतर स्थित है। जिससे हम प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा डी. एल.सी. की प्रचलित दर के अनुसार 37,82,160/- रूपये प्रति हैक्टेयर के आधार पर दिया जाना चाहिए तथा हम प्रार्थीगण उक्त तथ्यों व नियमानुसार अपनी अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 37,82,160/- रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्राप्त करने के अधिकारी है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)/अतिरिक्त जिला कलैक्टर प्रथम अलवर द्वारा एक अन्य अधिनिर्णय आदेश संख्या 42ए दिनांक 17.10.2019 के तहत हम प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 0.2460 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई। जिस भूमि की मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)/अतिरिक्त जिला कलैक्टर प्रथम अलवर द्वारा पूर्व की गलती को दोहराते हुए सिंचित भूमि रोड से दूर के हिसाब से 17,62,958/- रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से गणना कर हम प्रार्थीगण को दी गई जबकि हम प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 3936 का उक्त रकबा मुख्य सडक मार्ग से 500 मीटर के अन्दर स्थित है। जिससे हम प्रार्थीगण की उक्त अवाप्त की गई उक्त भूमि की मुआवजा राशि की गणना सिंचित भूमि रोड से निकट के आधार पर 37,82,160/- रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से की जानी चाहिए थी। अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा की गई उक्त मुआवजा राशि की गणना मौके लॉ रिकॉर्ड के विपरीत है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति व तहसीलदार महोदय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की जांच किये बिना गलत तरीक पर उक्त मुआवजा राशि की गणना की गई जिससे हम प्रार्थीगण को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा जिसके लिए भी सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति उत्तरदायी है। हम प्रार्थीगण को उक्त अवाप्ताधीन आराजी के बाबत जो भी मुआवजा राशि दी गई है वह गलत तरीके पर अवधारित कर कम मुआवजा राशि दी गई है। हम प्रार्थीगण द्वारा अब तक जो भी मुआवजा राशि प्राप्त की गई है वह आपत्ति के अधीन स्वीकार की गई है।

हम प्रार्थीगण की एक अन्य भूमि आराजी खसरा नम्बर 3942 रकबा 0.05 हैक्टेयर में से 0.0327 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर भी अवाप्त की गई है जिसकी मुआवजा राशि की गणना भी सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति द्वारा गलत तरीक पर की गई। उक्त अवाप्ताधीन भूमि जो कि असिंचित है तथा मुख्य सडक से 500 मीटर के अन्दर स्थित है जिसकी मुआवजा राशि की गणना 36,77,600/- रूपये प्रति हैक्टेयर की जानी चाहिए थी जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा हम प्रार्थीगण की उक्त आराजी मुआवजा राशि की गणना मुख्य सडक से दूर असिंचित के आधार पर 16,39,404/- रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से की गई तथा हम प्रार्थीगण को कम मुआवजा राशि दी गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौके की जांच किये बिना ही मुआवजा राशि की गणना शीट तैयार की गई, जिससे हम प्रार्थीगण को आर्थिक हानि पहुंची तथा हम प्रार्थीगण को हमारी अवाप्तशुदा भूमि का उचित प्रतिकर प्राप्त नहीं हो पाया।

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलैक्टर (प्रथम) अलवर जिला अलवर द्वारा अपने उक्त अधिनिर्णय आदेश संख्या 42 के तहत हम प्रार्थीगण की मुआवजा राशि गलत तरीके से खिलाफ मौका व खिलाफ डी एल सी दर तय की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ना तो मौका मुआयना किया गया व ना ही हम प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका मुआयना किया गया व ना ही हम प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया गया व ना ही प्रचलित डी एल सी दर का अवलोकन किया गया। जिससे हम प्रार्थीगण को आर्थिक हानि हो रही है जबकि हम प्रार्थीगण को मौके व डी एल सी दर के अनुसार मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। हम प्रार्थीगण द्वारा हम प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि की मुख्य सडक से दूरी बाबत मौका मुआयना रिपोर्ट व डी एल सी दर की प्रति गई है जिससे श्रीमान् को ज्ञात हो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे की गणना में भारी तथ्यात्मक भूल की है।


 जिला कलैक्टर
 अलवर (राज०)

हम प्रार्थीगण मुख्य सडक से नजदीक के आधार पर प्रचलित डी एल सी दर के अनुसार राशि 37,82,160/-रूपये प्रति हैक्टेयर के आधार पर मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं चूंकि हम प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि आराजी खसरा नम्बर 3936 वाके ग्राम पिनान, तहसील रैणी, जिला अलवर की मुख्य सडक (मण्डावर स्टेट हाईवे) से दूरी मुताबिक तहसीलदार की मौका मुआयना रिपोर्ट के आधार पर मात्र 40 मीटर है। जिससे हम प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि डी एल सी दर के नियमानुसार मुख्य सडक से 500 मीटर की दूरी के अन्दर स्थित होने से सडक से नजदीक की मुआवजा राशि की दर 37,82,160/- रूपये प्रति हैक्टेयर के आधार पर राशि तय कर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

हम प्रार्थीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के समक्ष अपनी उक्त आपत्तियां जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई थी जिसे सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर द्वारा गलत तरीके पर निरस्त कर दिया गया जिस आदेश से व्यथित होकर हम प्रार्थीगण ने एक रेफरेन्स संख्या: 33/2019 प्रार्थना पत्र माननीय पीठासीन अधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.12.2021 को निर्णित करते हुए माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी जयपुर द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अवाप्ति की गई भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर निर्धारण हेतु धारा 64, RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उक्त निर्णय के आधार पर हम प्रार्थीगण को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अपनी भूमि की अवाप्ति की प्रतिकर राशि धारा 3जी(5) जरिये आरबीट्रेटर अवधारित करानी होगी जिस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर हम प्रार्थीगण की उक्त अवाप्ति की गई आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 1.18 है० में से अवाप्ति की गई भूमि करीब 0.6762 हैक्टेयर तथा आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 0.2460 है० वाके ग्राम पिनान, तहसील रैणी, जिला अलवर की प्रतिकर राशि 37,82,160/- रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अवधारित कर उक्त अवाप्ति की गई भूमि की मुआवजा राशि का पुनः मूल्यांकन कर प्रतिकर राशि अवधारित की जाकर पूर्व में दी गई मुआवजा राशि समायोजित कर शेष बड़ी हुई मुआवजा राशि हम प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र (क्लेम) प्रस्तुत नहीं किया है ना ही कोई दस्तोवजात बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी संख्या 2 परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से तथ्यों, मौके तथा रिकॉर्ड के विपरीत जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई है तथा जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस मात्र खानापूर्ति के आशय से बिना किसी साक्ष्य के प्रस्तुत की गई है जिसमें विवाद बिन्दू को छोड़कर अन्य तथ्य दर्ज किये गये हैं जिनका मौजूदा प्रकरण से कोई वास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 12 में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि माननीय न्यायालय को धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय को मुआवजा राशि पुनः अवधारित करने का पूर्ण अधिकार है।


जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)


अतः प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बढी हुई मुआवजा राशि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से दिलाये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहतगठित एक संविधिक निकाय है जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जन साधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 79.395 कि.मी. से 149.000 कि.मी. तक के भूखण्ड का निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध औरप्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2306 (अ) दिनांक 05.06.2018 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया।

यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के अलवर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 79.395 कि.मी. से 149.000 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4112 (अ) दिनांक 21.08.2018 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 10.09.2018 को किया गया एवं अधिसूचना संख्या का. आ. 426 (अ) दिनांक 24.01.2019 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 24.01.2019 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 01.02.2019 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 C के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-D के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6264 (अ) दिनांक 21.12.2018 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 21.12.2018 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 05.01.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित निम्न भूमि:-

सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
3936	निजी	चाही 1/जाव 1	0.6762


जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-D के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 2096 (अ) दिनांक 24.06.2019 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 25.06.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 05.07.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित निम्न भूमि:-

सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3936	निजी	चाही 1/जाव 1	0.2460

इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-D के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 159 (अ) दिनांक 09.01.2020 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 10.01.2020 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 13.02.2020 के उक्त अधिसूचना के पश्चात् निम्नलिखित सभी भूमि अधिग्रहित की गई:-

सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3942	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0327

वाके ग्राम पिनान तहसील-राजगढ जिला अलवर सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहत हो चुकी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (G) में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी की उपधारा 1 व 2 के अनुसार भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा 3डी की अधिसूचना की लोक सूचना जो कि दैनिक समाचार पत्र के अंकों में प्रकाशित की गयी उक्त लोक सूचना द्वारा सम्बन्धित सभी हितबद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी (3) व (4) के अन्तर्गत स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये। जिसके अन्तर्गत ग्राम पिनान की अर्जित भूमि से सम्बन्धित भू-स्वामियों द्वारा दावे प्रस्तुत किये गये जिनका समक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड पारित कर दिया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय आदेश दिनांक 08.03.2019, 17.10.2019 एवं 12.03.2020 को पारीत कर दिया गया।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (G) के तहत, उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सड़क सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(H)(1) के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3-क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे


जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

विक्रय-पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 की उपधारा-2 के अनुसार बाजार मूल्य पर गुणांक कारक के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना सं० प.1(3) राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 30) की धारा 26 की उपधारा (2) सपठित प्रथम अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(3) राज.6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह निम्न अनुसार होगा:-


शहरी क्षेत्र से दूरी	गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे
0-10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

उपरोक्तानुसार ग्रामों की अधिनिर्णित भूमि के लिये गुणांक निम्न प्रकार निर्धारित की गयी:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	निकटतम नगरपालिका	निकटतम नगरपालिका दूरी (कि.मी.)	लागू गुणांक
अलवर	रैणी	पिनान	राजगढ	19	1.50

इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकटतम राजगढ नगरपालिका से दूरी (कि.मी.) 19 किलोमीटर मानते हुए 10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक के लिए 1.50 का गुणक लगाया लगाया गया है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध जो गुणक निर्धारित किया गया है। वह विधि के प्रावधानों के अनुसार पूर्णत सही निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व अधिनियम की धारा 3(G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium), एवं RFCTLARR Act., 2013 के प्रावधानोंनुसार धारा 3-A के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि दी जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया।


राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व अधिनियम की धारा 3(G) में दिये गये निर्देशों


 जिला कलेक्टर
 अलवर (राज०)

की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium) वृद्धि की जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि विक्रय-विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय-पत्रों के औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए अभिनिर्णय आदेश दिनांक 08.03.2019, 17.10.2019 एवं 12.03.2020 को निर्धारित की गई।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3A. B. C. D. E. F. G. एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु धारा 3A की दिनांक को प्रभावी रोड से दूर सिंचित की डी.एल.सी दर रुपये 17,62,958/- प्रति हैक्टेयर की दर से अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थीगण कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3जी-7 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण धारा 3A के प्रकाशन के दिनांक पर प्रचलित बाजार दर के आधार पर की जावेगी न कि भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार रोड से दूर सिंचित की डी.एल.सी दर रुपये 17,62,958/- प्रति हैक्टेयर के आधार पर निर्धारित की जाकर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium), एवं RFCTLARR Act., 2013 के प्रावधानोंनुसार धारा 3A के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि दी जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। जो कि पूर्णत सही व उचित है। प्रार्थीगण कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थीगण कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत जिस भूमि की अवाप्ती की गयी है उसी भूमि पर सडक निर्माण आदि का कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मद में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गयी है जिसे निर्णित करने का माननीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है व विधि के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारीत कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का


जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है व मात्र इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।


यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही दी गई है जो कि पूर्णत सही व उचित है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। यदि अवाप्त शुदा भूमि को बिना विधिवत रूपान्तरित करवाये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में लिया जा रहा है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं तथा ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यावसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है जो विधि सम्मत एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है।

अतः अप्रार्थीगण की ओर लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहतगठित एक संविधिक निकाय है जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जन साधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये।


भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 79.395 कि.मी. से 149.000 कि.मी. तक के भूखण्ड का निर्माण (चौडीकरण/पेल्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध औरप्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2306 (अ) दिनांक 05.06.2018 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया।

यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के अलवर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 79.395 कि.मी. से 149.000 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेल्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत्


ज्योति कलक्टर
अलवर (राज०)

शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4112(अ) दिनांक 21.08.2018 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 10.09.2018 को किया गया एवं अधिसूचना संख्या का. आ. 426(अ) दिनांक 24.01.2019 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 24.01.2019 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 01.02.2019 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 C के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-D के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6264(अ) दिनांक 21.12.2018 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 21.12.2018 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 05.01.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित निम्न भूमि:-




सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3940	निजी	जाव 1	0.6190

इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-D के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 2096(अ) दिनांक 24.06.2019 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 25.06.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 05.07.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित निम्न भूमि:-

सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3940	निजी	जाव 1	0.3090

वाके ग्राम पिनान तहसील-राजगढ जिला अलवर सम्मिलित है, जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहत हो चुकी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (G) में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी की उपधारा 1 व 2 के अनुसार भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा 3डी की अधिसूचना की लोक सूचना जो कि दैनिक समाचार पत्र के अंकों में प्रकाशित की गयी उक्त लोक सूचना द्वारा सम्बन्धित सभी हितबद्ध



जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

व्यक्तियों से धारा 3जी (3) व (4) के अन्तर्गत स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये। जिसके अन्तर्गत ग्राम पिनान की अर्जित भूमि से सम्बन्धित भू-स्वामियों द्वारा दावे प्रस्तुत किये गये जिनका समक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड पारित कर दिया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय आदेश दिनांक 08.03.2019 एवं 17.10.2019 को पारीत कर दिया गया।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (G) के तहत, उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सड़क सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (H)(1) के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3-क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय-पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 की उपधारा-2 के अनुसार बाजार मूल्य पर गुणांक कारक के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग की अधिसूचना सं० प.1(3) राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 30) की धारा 26 की उपधारा (2) सपठित प्रथम अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(3)राज.6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह निम्न अनुसार होगा:-

शहरी क्षेत्र से दूरी	गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे
0-10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00


जिजा कलक्टर
अलवर (राज०)

उपरोक्तानुसार ग्रामों की अधिनिर्णित भूमि के लिये गुणांक निम्न प्रकार निर्धारित की

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	निकटतम नगरपालिका	निकटतम नगरपालिका दूरी (कि.मी.)	निर्धारित गुणांक
अलवर	रैणी	पिनान	राजगढ	19	1.50





इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकटतम राजगढ नगरपालिका से दूरी (कि.मी.) 19 किलोमीटर मानते हुए 10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक के लिए 1.50 का गुणक लगाया लगाया गया है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध जो गुणक निर्धारित किया गया है। वह विधि के प्रावधानों के अनुसार पूर्णत सही निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व अधिनियम की धारा 3(G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium), एवं RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानोंनुसार धारा 3-A के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि दी जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व अधिनियम की धारा 3(G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium) वृद्धि की जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि विकय-विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विकय-पत्रों के औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए अधिनिर्णय आदेश दिनांक 08.03.2019 एवं 17.10.2019 को निर्धारित की गई।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3A, B, C, D, E, F, G. एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित खातेदार/हितवद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु धारा 3A की दिनांक को प्रभावी रोड से दूर सिंचित की डी.एल.सी दर रूपये 17,62,958/- प्रति हैक्टेयर की दर से अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थीगण कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।


जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)



सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित खातेदार / हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3जी-7 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण धारा 3A के प्रकाशन के दिनांक पर प्रचलित बाजार दर के आधार पर की जावेगी न कि भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार रोड से दूर सिंचित की डी.एल.सी दर रूपये 17,62,958/- प्रति हैक्टेयर के आधार पर निर्धारित की जाकर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium), एवं RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानोंनुसार धारा 3A के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि दी जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। जो कि पूर्णत सही व उचित है। प्रार्थीगण कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकॉर्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थीगण कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।


यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही दी गई है जो कि पूर्णत सही व उचित है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। यदि अवाप्त शुदा भूमि को बिना विधिवत रूपान्तरित करवाये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में लिया जा रहा है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं तथा ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यावसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में


जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है जो विधि सभित एवं उचित है।
वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है।

अतः अप्रार्थीगण की ओर लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील उभयपक्ष की लिखित बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भूमि वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 1.18 है० में से 0.6762 + 0.2460 कुल 0.9222 है० किस्म चाही 1/जाव 1 एवं आराजी खसरा नम्बर 3942 रकबा 0.05 है० में से 0.0327 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 148 एन में अवाप्त की गई। अवाप्ताधीन भूमि एनएच एक्ट 1956 की धारा 3ए के तहत प्रकाशन दिनांक 10.09.2018 को किया गया एवं 3डी अधिसूचना संख्या 426 (अ) दिनांक 24.01.2019 को प्रकाशन की गई। सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 0.9222 है० किस्म चाही 1/जाव 1 मुख्य सड़क से दूर एवं भूमि की किस्म सिंचित एवं आराजी खसरा नम्बर 3942 रकबा 0.0327 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता मुख्य सड़क से दूर एवं भूमि की किस्म असिंचित डीएलसी दर गुणांक के आधार पर मुआवजा रीश मय सोलेसियम व ब्याज का अवॉर्ड पारित किया गया। प्रार्थी उक्त पारित अवॉर्ड से सन्तुष्ट नहीं होने पर पुनः मूल्य निर्धारण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनानुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 1.18 है० मुख्य सड़क के पास सिंचित भूमि एवं आराजी खसरा नम्बर 3942 रकबा 0.05 है० मुख्य सड़क के पास असिंचित भूमि की दर से मुआवजा का निर्धारण किया जाना चाहिए था। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गई हैं। जबकि सक्षम अवाप्त अधिकारी द्वारा 3ए की जारी दिनांक से प्रचलित दर एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 3936 रकबा 0.9222 है० किस्म चाही 1/जाव 1 मुख्य सड़क से दूर एवं भूमि की किस्म सिंचित एवं आराजी खसरा नम्बर 3942 रकबा 0.0327 है० किस्म गैर मुमकिन रास्ता मुख्य सड़क से दूर एवं भूमि की किस्म असिंचित भूमि की दर से अवॉर्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित पटवारी हल्का की रिपोर्ट को मुआवजा भुगतान हेतु आधार नहीं माना जा सकता। सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा तत्समय धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक पर प्रचलित बाजार की डीएलसी दर रुपये 17,62,958/- प्रति हैक्टेयर सिंचित भूमि, 16,39,404/- प्रति हैक्टेयर असिंचित भूमि एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा निर्धारित कर सोलेसियम 100 प्रतिशत एवं RFCTLARR ACT 2013 की धारा 69 के तहत बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाकर दिनांक 08.03.2019 को अवॉर्ड पारित किया गया। उक्त पारित अवॉर्ड में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आर्बिट्रेशन सार हीन होने पर खारिज किये जाने योग्य हैं।


जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत पुनः मूल्य निर्धारण किये जाने बाबत खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. आर्तिका शकुला)
जिला कलेक्टर
अलवर (राजस्थान)
अलवर राजस्थान